न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आर.ए.एस.

सप्लाई विविध प्रकरण संख्या : 03/2023

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय, प्रथम जोधपुर		यशपाल पुत्र श्री धोकलराम जाति-चौधरी, निवासी विधानगर, पुलिस थाना माता का थान, जोधपुर

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण का विनियमन) आदेश 2000

उपस्थितिः –

1. प्रार्थी की ओर से विभागीय पेरोकार श्री पुष्पराज पालीवाल प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय, प्रथम जोधपुर उपस्थित।
2. अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

निर्णय

दिनांक 18.12.2024

प्रार्थी राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी, जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर की ओर से प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस (वितरण एवं प्रदाय नियन्त्रण) आदेश 2000 के अन्तर्गत अप्रार्थी यशपाल पुत्र श्री धोकलराम जाति चौधरी निवासी विधानगर पुलिस थाना माता का थान, जोधपुर के विरूद्ध यह प्रकरण जब्तसुदा 18 घरेलु गैस सिलेण्डर (05 खाली व 13 भरे हुए), 14 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर (06 खाली व 08 भरे हुए), 02 भरे हुए छोटे सिलेण्डर, एक इलेक्ट्रीक कांटा व एक गैस भरने की मशीन को राज्यसात करने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी जोधपुर के मौखिक निर्देशानुसार दिनांक 19.03.2024 को पुलिस उपाधीक्षक के टेलिफोन सूचना पर मय पुलिस थाना टीम के साथ विधानगर पर जिला प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर के पहुंचने पर मौके पर एक मकान जिसमें अवैध गैस सिलेण्डर रखने की सूचना मिलने पर मौके पर जांच करने पर उपस्थित व्यक्ति ने अपना नाम यशपाल पुत्र श्री धोकलराम बताया एवं उनकी उपस्थिति में मकान की तलाशी लेने पर मकान के विभिन्न स्थानों पर घरेलु एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2024.12.19 17:40:33 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

व्यावसायिक गैस सिलेण्डर एक इलेक्ट्रीक कांटा व एक गैस भरने की मशीन रखी हुई पायी गयी। मौके पर सिलेण्डरों की जांच करने पर कुल 18 घरेलु गैस सिलेण्डर (05 खाली व 13 भरे हुए), 14 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर (06 खाली व 08 भरे हुए), 02 भरे हुए छोटे सिलेण्डर भण्डारित पाये गये जिनके संबंध में कोई संतोषजनक जवाब तथा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसका विवरण इस प्रकार है:-

घरेलु गैस सिलेण्डर		व्यावसायिक गैस सिलेण्डर		छोटे सिलेण्डर	
खाली	05	खाली	06	भरे हुए	02
भरे हुए	13	भरे हुए	08	--	--
कुल	18		14		02
01 इलेक्ट्रीक कांटा व 01 गैस भरने की मशीन					

उक्त 18 घरेलु गैस सिलेण्डर (05 खाली व 13 भरे हुए), 14 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर (06 खाली व 08 भरे हुए), 02 भरे हुए छोटे सिलेण्डर, एक इलेक्ट्रीक कांटा व एक गैस भरने की मशीन को जब्त सरकार किया जाकर मारवाड़ गैस सर्विस मानजी का हत्था जोधपुर के प्रतिनिधि श्री भोमसिंह को सुपुर्द किया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा अपने मकान में अवैध रूप से उक्त गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण, क्रय-विक्रय, एवं रिफलिंग का कार्य किया जा रहा था जो कि द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी द्वारा धारा 6(ए) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जब्त उक्त 18 घरेलु गैस सिलेण्डर (05 खाली व 13 भरे हुए), 14 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर (06 खाली व 08 भरे हुए), 02 भरे हुए छोटे सिलेण्डर, एक इलेक्ट्रीक कांटा व एक गैस भरने की मशीन को राज्यसात् किये जाने की प्रार्थना की गई।

प्रकरण में अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित रहने पर प्रार्थी विभागीय पेरोकार की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। प्रार्थी की ओर से विभागीय पेरोकार श्री पुष्पराज पालीवाल प्रवर्तन अधिकारी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा वक्त जांच अपने मकान में उक्त 18 घरेलु गैस सिलेण्डर (05 खाली व 13 भरे हुए), 14 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर (06 खाली व 08 भरे हुए), 02 भरे हुए छोटे सिलेण्डर का अवैध भण्डारण, क्रय-विक्रय एवं रिफलिंग का कार्य किया जा रहा था। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से उक्त गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण, क्रय-विक्रय, एवं रिफलिंग का कार्य किया जाने से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया है। जिसके कारण जब्त उक्त 18 घरेलु गैस सिलेण्डर (05 खाली व 13 भरे हुए), 14 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर (06 खाली व 08 भरे

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2024.12.19 17:40:38 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

हुए), 02 भरे हुए छोटे सिलेण्डर, एक इलेक्ट्रीक कांटा व एक गैस भरने की मशीन को राज्यसात किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

हमने विभागीय पेरोकार की एकपक्षीय बहस पर मनन एवं प्रकरण में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार वक्त जांच अप्रार्थी द्वारा अपने मकान में अवैध रूप से उक्त गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण कर क्रय-विक्रय एवं रिफलिंग का कार्य किया जा रहा था तथा जिसके संबंध में अप्रार्थी द्वारा न तो कोई संतोषजनक जवाब दिया गया न ही कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। अप्रार्थी द्वारा अपने मकान पर उक्त 18 घरेलु गैस सिलेण्डर (05 खाली व 13 भरे हुए), 14 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर (06 खाली व 08 भरे हुए), 02 भरे हुए छोटे सिलेण्डर, एक इलेक्ट्रीक कांटा व एक गैस भरने की मशीन का अवैध भण्डारण कर क्रय विक्रय एवं रिफलिंग का कार्य किया जाना पाया गया जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जब्तसुदा उक्त 18 घरेलु गैस सिलेण्डर (05 खाली व 13 भरे हुए), 14 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर (06 खाली व 08 भरे हुए), 02 भरे हुए छोटे सिलेण्डर, एक इलेक्ट्रीक कांटा व एक गैस भरने की मशीन को राज्यसात करने का आदेश दिया जाता है। जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि जब्तसुदा उक्त 18 घरेलु गैस सिलेण्डर (05 खाली व 13 भरे हुए), 14 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर (06 खाली व 08 भरे हुए), 02 भरे हुए छोटे सिलेण्डर, एक इलेक्ट्रीक कांटा व एक गैस भरने की मशीन का नियमानुसार निस्तारण किया जाकर राशि राज्य कोष में जमा कराई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2024.12.19 17:40:33 IST
Reason: SelfAttested